[भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग II,खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारी उद्योग मंत्रालय

*****

राजपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2021

शुद्धि-पत्र

विषय: उत्पाद-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए दिशानिर्देश ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए योजना।

दिनांक 23 सितंबर 2021 के सां.आ. 3947 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित भारी उद्योग मंत्रालय की दिनांक 23.09.2021 की अधिसूचना फा.सं. 12(11)/2020-एईआई (21370) के संदर्भ में, उक्त अधिसूचना के हिंदी भाग में निम्नलिखित पैरा में निम्नानुसार सुधार किया जाता है:

1. **4.1 (ख) :** नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी अथवा उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए जो इस स्कीम में भाग लेना चाहती हैं:

पात्रता मानदंड	**नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी** या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) **(जो वर्तमान में ऑटोमोबिल या ऑटो संघटक निर्माण व्यवसाय में नहीं हैं)**
वैश्विक निवल मूल्य	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर 1000 करोड़ रुपये।
पांच वर्ष की अवधि में भारत में प्रतिबद्ध निवेश	नीचे दिए गए पैरा - 4.1(ग) में उल्लिखित न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तों के अनुसार

नोट :

i. गैर-ऑटोमोटिव कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) इस स्कीम के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे भारत में निवेश करने और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों या उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के विनिर्माण से राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक स्पष्ट व्यवसाय योजना प्रस्तुत करें।

ii. आवेदक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) किसी विशेष वर्ष के लिए प्राप्त किए जाने वाले संचयी न्यूनतम नए घरेलू निवेश को पूरा करने पर प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होंगी। आवेदक को पहले वर्ष से निर्धारित न्यूनतम सीमा से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि मानदंड को भी पूरा करना होगा।

iii. नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को उन कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिनके पास 31 मार्च, 2021 तक ऑटोमोबिल या ऑटोमोबिल घटकों के विनिर्माण से कोई राजस्व नहीं है।

iv. आवेदक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी अथवा उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को सभी पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।

2. पैरा 8..4 आवेदनों को प्रस्तुत करने या मांगे गए स्पष्टीकरण की प्राप्ति (यदि कोई हो) की तारीख से 60 दिनों के भीतर सभी आवेदनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. पैरा 10.3.1 (VIII) की तालिका 1

तालिका 1: चैंपियन ओईएम और नई गैर-ऑटोमोटिव (ओईएम) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन स्लैब

निर्धारित बिक्री मूल्य (करोड़ रू. में)	**प्रोत्साहन (निर्धारित बिक्री मूल्य का प्रतिशत)**
< = 2,000	**13%**
>2,000 से 3,000	**14%**

>3,000 से 4,000	15%
>4,000	16%
5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य	अतिरिक्त 2%

नोट:- i. केवल ऐसे बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा जो फेम-II स्कीम के निष्पादन मानदंडों अथवा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित मानदंडों को पूरा करते हों।

4. पैरा 10.3.2 (II): अनुमोदित नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी के लिए भी (जो वर्तमान में ऑटोमोबिल या ऑटो संघटक विनिर्माण व्यवसाय में नहीं है) आधार-वर्ष में पात्र बिक्री मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाएगा।

5. पैरा 10.3.2 (VIII) तालिका 2:

तालिका 2: संघटक चैंपियन और नई गैर-ऑटोमोटिव (संघटक) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन स्लैब

निर्धारित बिक्री मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रोत्साहन राशि (निर्धारित बिक्री मूल्य का %)
<= 250	8%*
> 250 से 500	9%*
> 500 से 750	10%*
> 750	11%*
5 वर्षों में ₹ 1,250 करोड़ का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य ।	अतिरिक्त 2%

बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन सेल-चालित वाहन संघटक	**अतिरिक्त 5%**

*** अंतर्दहन इंजन (आईसीई) वाहन संघटकों से संबंधित पात्र बिक्री के लिए पांचवें वर्ष में 0.9 के कारक से गुणा किया गया।**

नोट:- i. वार्षिक आधार पर, अनुमोदित संघटक चैंपियंस को दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित भारत में उत्पादित बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन सेल-चालित वाहन विशेष के संघटकों के बिक्री मूल्य का ब्यौरा अलग से देना होगा।

[फा. सं. 12 (11)/2020-एईआई (21370)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव